न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–139/2018 दायर दिनांकः 12.10.2018

GCMS NO:- 2018/00235

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामकुवार पुत्र मोडू जाति गुर्जर निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादी

बनाम

1. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका एड़वोकेट

निर्णय दिनांक 16.03.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि वादी के गैर खातेदारी व अधिकार की ग्राम करवर पटवार हल्का करवर तहसील नैनवां की सम्वत् 2073 से 2076 तक की कृषि भूमि के खसरा नं. 545/1 रकबा 1 बीघा किस्म बंजड भूमि स्थित है। यह कि उक्त भूमि रोड के सहारे करवर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा उक्त भूमि वादी आवंटन कमेटी द्वारा वर्ष 1999 में आवंटन की थी तथा दखलनामा भी उसी समय वादी को संभला दिया था तब से वादी उक्त भूमि पर लगातार कब्जा होने से वादी को कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है तथा गैर खातेदारी का इन्द्राज जमाबन्दी में हो रहा है तथा वादी उक्त भूमि का लगान समय समय पर राजस्व में जमा करता चला आ रहा है। वादी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा होने से वादी को कब्जा मुखालफाना भी प्राप्त हो चुका है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपने को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। यह कि वादी ने दिनांक 23.08.2018 को प्रतिवादीगण से वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि का गैरखातेदारी से खातेदार घोषित करने का तकाजा किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तुझे खातेदार घोषित नही करेगें तो वादी ने कहा कि मेरा भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा मैं ही काबिज होकर फसल बोता व काटता चला आ रहा है तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि हमने कह दिया सो कह दिया तुझे खातेदार कृषक घोषित नही करेगें। ज्यादा करेगा तो उक्त भूमि से तुझे बेदखल कर देंगें तथा वादी को वहां से भगा दिया। यह वाद का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी को कब्जा मुखालनामा के आधार पर अपने आप को खातेदार कृषक घोषित करवाये तथा इस आश्य का अंकन राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में किया जावें तथा वादी प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवाये कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 वादी की गैर खातेदारी की खसरा संख्या 545/1 रकबा 1 बीघा भूमि पर से बेदखल नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नही करे, वादी को फसल बोने व काटने में हस्तक्षेप नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में [illegible] नही करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये। वादी ने अपने वाद [illegible] में शपथ–पत्र, भू–आवंटन नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपी प्रदर्श 1, दखल नामा प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी गैर खातेदारी प्रदर्श 3, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी गिरदावरी प्रदर्श 5 आदि पेश किये।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वाद के सम्बंध में पैरोकार सरकार तहसीलदार नैंनवां का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपने जवाब मे पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि कृषि योग्य भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आवन्टित की गई थी जिस पर आवंटन शर्तो की पालना आवंटी द्वारा पूर्ण किये जाने पर नियमानुसार श्रीमान तहसीलदार नैनवॉ द्वारा खातेदारी दी जाती है। इस कारण वादी का वाद खारिज योग्य है।

वाद–पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब वाद पत्र, बयान पक्षकारान आदि का अवलोकन किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम करवर पटवार हल्का करवर तहसील नैंनवां की सम्वत् 2073 से 2076 तक की कृषि भूमि के खसरा सं. 545/1 रकबा 1 बीघा किस्म बंजड भूमि पर लगातार कब्जा होने तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 वादी की खातेदारी की खसरा संख्या. 545/1 रकबा 1 बीघा भूमि पर से वादी को बेदखल नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, वादी को फसल बोने व काटने में हस्तक्षेप नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये। डिकी पर्चा जारी किया जावें। तहसीलदार नैनवॉ को डिकी की पालना हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner